डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, भारत
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh, India

प्रेषक,

कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0** को मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अवलोकनार्थ।
2. **श्री नरेन्द्र कश्यप**, मा0 मंत्री जी,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. **श्री सतीश चन्द्र मिश्रा**, मा0 अध्यक्ष
डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ।
4. **श्री राजेश अग्रवाल**, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली।
5. **श्री दीपक कुमार**, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
6. **श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल**, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
7. **श्री हेमन्त राव**, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8. **श्री आलोक कुमार**, प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
9. **श्री अजीत कुमार**, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
10. **डॉ0 शंमुगा सुन्दरम एम0 के0**, प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
11. **प्रो0 संजय सिंह**, तत्कालीन कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।
12. **निदेशक**, एन0आई0ई0पी0वी0डी0, देहरादून।
13. **निदेशक**, एन0आई0एल0डी0, कोलकाता।
14. **निदेशक**, ए0वाई0एन0आई0एस0एण्ड एच0डी0, मुम्बई।
15. **निदेशक**, एन0आई0ई0पी0ई0डी0, सिकन्दराबाद।
16. **डा0 जितेन्द्र कुमार जैन**, चिकित्सक, प्रयागराज।
17. **डॉ0 उत्तम ओझा**, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, केन्द्र, कबीर नगर कालोनी, दुर्गा कुण्ड, वाराणसी।
18. **श्री अशोक कुमार द्विवेदी**, एडवोकेट, फैजाबाद।

पत्रांकः 1025 / फा0सं0–432(पंचम) / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / सामा0परिषद / 2023–24 दिनाँकः 11 अगस्त, 2023

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की सामान्य परिषद की अष्टम बैठक दिनांकः 18 जून, 2023 के कार्यवृत्त का प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के मा0 सामान्य परिषद की आहूत अष्टम बैठक दिनांकः 18 जून, 2023 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के मा0 सामान्य परिषद् की

अष्टम् बैठक दिनाँकः 18 जून, 2023 का कार्यवृत्त

समय–	पूर्वाह्न : 11:00 बजे
स्थान–	मा0 मुख्यमंत्री आवास 5, कालीदास मार्ग लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् की बैठक मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद्/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/8	**मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनाँकः 16.09.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय की मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनाँकः 16.09.2021 के कार्यवृत्त पत्रांक 1093/फा0सं0–432(पंचम)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./सामा0परिषद्/2021–22, दिनांक 27.09.2021 में लिए गये निर्णय के निर्गत कार्यवृत्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/8	**मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनाँकः 16.09.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद् द्वारा सप्तम् बैठक दिनाँकः 16.09.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई। साथ ही बिन्दु संख्या–7/7 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से आगामी मा0 सामान्य परिषद् की बैठक में संज्ञानित कराने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–13/7 के उप बिन्दु संख्या–(1) में विश्वविद्यालय में समूह–ग श्रेणी के गैर–शैक्षिक संवर्ग के सृजित पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने हेतु विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय एक निगमित/स्वायत्तशाषी संस्था है, अपनी आवश्यकतानुरूप सृजित पदों पर समूह–ग के सम्बन्ध में उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नियुक्ति उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्थान पर विश्वविद्यालय स्तर से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
3/8	**राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को भवन एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग हेतु समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में।**
	मा0 सामान्य परिषद् की आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के पत्र संख्या–965/ 65–2–2099/842022–2, दिनांक 28 जून, 2022 द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में निर्गित कक्षों में से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गाँधीनगर, गुजरात के द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र हेतु चिन्हित कक्षों को 03 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के मध्य एक यथोचित एम0ओ0यू0 (MOU) करते हुए अग्रिम कार्यवाही की गयी, जिस पर मा0 कार्य परिषद् की 40वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2022 में अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। निर्णयः मा0 सामान्य परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को भवन एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग हेतु समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में अवगत होते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
अध्यक्ष
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

4/8	विश्वविद्यालय के कालेज फॉर डेफ के संचालन के सम्बन्ध में।
	मा0 सामान्य परिषद् को संज्ञानित कराया गया कि भारत सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय में बधिर दिव्यांगजन हेतु कालेज फॉर डेफ का संचालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 के मूल उद्देश्यों को पूर्ण करने, बधिर दिव्यांगजन के लिए सुगम व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थान न होने के कारण भारत सरकार द्वारा बधिर दिव्यांगजनों के व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि एवं गुणात्मक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर भारत के पहले 'कालेज फॉर डेफ' की स्थापना विश्वविद्यालय में की गयी है। मा0 परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा B.Voc. in Graphics & Animation Designing पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 07 शैक्षिक, 08 गैर–शैक्षिक एवं 16 तकनीकी पदों के सृजन के प्रस्ताव को शासन को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त कालेज फॉर डेफ के संचालन में ऐसे पाठ्यक्रम का संचालन किये जाने पर विचार किया जाना है जिसमें कोई विद्यार्थी प्रथम बार विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर 01 वर्ष की अवधि पूर्ण/उत्तीर्ण होने पर **प्रथम प्रमाण–पत्र** के रूप में सर्टीफिकेट, इसके उपरान्त प्रवेश से 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर डिप्लोमा का **द्वितीय प्रमाण–पत्र,** प्रवेश से 03 वर्ष पूर्ण होने पर एडवांस डिप्लोमा का **तृतीय प्रमाण–पत्र** एवं अन्त में उक्त पाठ्यक्रम में सतत् रूप से 04 वर्ष पूर्ण करने एवं उत्तीर्ण होने पर डिग्री का चतुर्थ व अन्तिम चरण का **डिग्री प्रमाण–पत्र** निर्गत किया जाना है। वर्तमान में NIELET के सहयोग से निम्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है– 1- CCC Course in Computer 2- 'O' Level Course in Computer 3- Web designing 4- Digital Marketing 5- Certificate Course in PC Hardware & Networking 6- Diploma in Computer Application & Network Administration 7- Mobile app development 8- Financial Accounting using TALLY 9- Artificial intelligence 10- Auto CAD **निर्णयः** मा0 सामान्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में मूक बधिर दिव्यांगजन हेतु कालेज फॉर डेफ के संचालन के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विद्यार्थियों के उन्नयन एवं उनके उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के कालेज फॉर डेफ के संचालन के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/8	**विश्वविद्यालय के श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए पी0डी0सी0डी0 की निर्धारित 30 सीटों को 60 सीटों के वृद्धि किये जाने पर विचार।**
	निर्णयः मा0 सामान्य परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु पी0डी0सी0डी0 (प्री–डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डेफ स्टूडेन्ट्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित 30 सीटों को बढ़ाकर 60 सीटों को किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	डॉ0 निशीथ राय, तत्कालीन कुलपति द्वारा की गई शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक की नियुक्तियों की जांच के सम्बन्ध में।
6/8	(क) मा0 सामान्य परिषद् को संज्ञानित कराया गया कि मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में बिन्दु संख्या–6/7 के उप बिन्दु– (अ) में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मा0 कार्य परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 के बिन्दु संख्या–3/35 में अनुमोदित निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की गयी नियुक्तियों पर, प्रक्रियाओं का पालन करने व प्रकरण को निस्तारित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री प्रत्युष कुमार एवं न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर की दो सदस्यीय गठित समिति द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा शैक्षिक संवर्ग हेतु की गई जांच की जांच आख्या पर मा0 कार्य परिषद् की विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुपालन में निम्न शिक्षकवृन्द का चयन पृथक्–पृथक् आदेश द्वारा समाप्त किया गया–

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	पत्रांक एवं दिनांक
01	प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्रा	प्रोफेसर	इतिहास एवं पुरातत्व विभाग	872/2022–23 दिनांक 06.07.2022
02	डॉ0 विपिन कुमार पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भारतीय भाषा विभाग	870/2022–23 दिनांक 06.07.2022
03	डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर	श्रवण बाधितार्थ विभाग	874/2022–23 दिनांक 06.07.2022
04	डॉ0 आद्या शक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेसर	दृष्टिबाधितार्थ विभाग	873/2022–23 दिनांक 06.07.2022
05	प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव	प्रोफेसर	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	871/2022–23 दिनांक 06.07.2022

उक्त चयन समाप्त किये जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल उक्त 05 वाद के सापेक्ष समेकित रूप में Writ-A 4293 आफ 2022 दिनांक 08.05.2023 आदेश पारित किया गया, जिसमें अन्तिम प्रस्तर में निम्न आदेश उल्लिखित किया गया है–

> 83. In view of the above, the writ petitions stand **allowed**. The impugned orders dated 06.07.2022 with respect to all the petitioners challenged in all the writ petitions, forming part of the bunch, are set aside. The respondent University is directed to reinstate the petitioners forthwith. Considering the fact that they have been working for the last 6 to 7 years and the orders of termination have been held to be illegal and arbitrary, they are entitled to all consequential benefits including the back wages from the date of termination of their services.

मा0 कार्य परिषद् की 43वीं बैठक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Writ-A 4293 आफ 2022 दिनांक 08.05.2023 द्वारा पारित उक्त निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील करने का निर्देश प्रदान किया गया।

निर्णयः मा0 सामान्य परिषद् शैक्षिक संवर्ग में नियुक्ति की जांच हेतु की गई कृत कार्यवाही से संज्ञानित होते हुए इस सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद् की 43वीं बैठक में लिए गये निर्णय पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते हुए अपील के अन्तिम स्तर तक प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया।

(ख) इसी प्रकार मा0 सामान्य परिषद् को संज्ञानित कराया गया कि मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में बिन्दु संख्या–6/7 के उप बिन्दु–(अ) में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मा0 कार्य परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 के बिन्दु संख्या–3/35 में अनुमोदित निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की गयी नियुक्तियों पर, प्रक्रियाओं का पालन करने व प्रकरण को निस्तारित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री प्रत्युष कुमार एवं न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर की दो सदस्यीय गठित समिति द्वारा किया गया।

उक्त समिति द्वारा गैर–शैक्षिक संवर्ग हेतु की गई जांच की जांच आख्या पर मा0 कार्य परिषद् की विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुपालन में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिक का चयन पृथक आदेश द्वारा समाप्त किया गया, विधि अधिकारी का चयन समाप्त किये जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल वाद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Writ-A 7046/2022 दिनांक 24.05.2023 के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया। मा0 कार्य परिषद् की 43वीं बैठक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Writ-A 7046/2022 दिनांक 24.05.2023 द्वारा पारित निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील करने का निर्देश प्रदान किया गया।

निर्णयः मा0 सामान्य परिषद् गैर–शैक्षिक संवर्ग में नियुक्ति की जांच हेतु की गई कृत कार्यवाही से संज्ञानित होते हुए इस सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद् की 43वीं बैठक में लिए गये निर्णय पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते हुए अपील के अन्तिम रतर तक प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

7/8	**तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत की गई नियुक्ति पर अनियमितताओं के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर विचार।** मा0 सामान्य परिषद् के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 कार्य परिषद् की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2023 में तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत की गई नियुक्ति पर जांच समिति की जांच आख्या को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें विन्दु संख्या–24/39(2) में प्रस्तर–4 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि– *"उपरोक्त नियुक्तियों में अनियमित प्रक्रिया अपनाने, मनमाने तरीके से चयन समितियों का गठन करने, आरक्षण नियमों का पालन न करने, विज्ञापन में विज्ञापित अर्हताओं को धारित न करने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने, विज्ञापित पदों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने आदि के लिए उत्तरदायी तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय पर विधिक् कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 सामान्य परिषद् को संज्ञानित कराया जाना उचित होगा।"* **निर्णयः**–मा0 सामान्य परिषद् तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत की गई नियुक्ति में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच समिति की जांच आख्या एवं मा0 कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय से संज्ञानित हुई। तत्क्रम में मा0 सामान्य परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर से विधिक् कार्यवाही करते हुए अगली बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करें।
8/8	**तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय की जन्मतिथि के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा की गई कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।** **निर्णयः** मा0 सामान्य परिषद् तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय की जन्मतिथि के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा की गई कृत कार्यवाही से संज्ञानित हुई तथा इस सम्बन्ध में मा0 सामान्य परिषद् द्वारा इस पर शीघ्र ही अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/8	**तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय द्वारा की गई विदेश यात्रा के दौरान व्यय की गई धनराशि को विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने अथवा उनकी वसूली हेतु की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।** **निर्णयः** मा0 सामान्य परिषद् तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय द्वारा दिनांक 05 से 09 अक्टूबर, 2015 तक जर्मनी में आयोजित कुलपति सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु की गई विदेश यात्रा में व्यय की गई धनराशि रू0 1,38,000/– को विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने अथवा उनकी भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु की गई कृत कार्यवाही से संज्ञानित हुई एवं सम्बन्धित प्राधिकारी को निर्देशित किया गया।
10/8	**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन।** **निर्णयः**– मा0 सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय की भौतिक क्रिया, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य क्रिया–कलापों की संक्षिप्त प्रगति से अवगत होते हुए संतोष व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष मा0 सामान्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के उन्नयन और विकास के संबंध में निम्नवत् निर्देश प्रदान किए गएः– 1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों के आयोजन किया जाये। 2. विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने, पेटेण्ट की दिशा में आगे बढने के साथ तकनीकी प्रसार एवं दिव्यांगजन के शैक्षिक उन्नयन, अनुसंधान एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत अन्य संस्थाओं से सहयोग करने समझौता/ज्ञापन करने सम्बन्धी कार्य किये जाये। 3. **मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत समस्त परीक्षाएं आगामी सत्र से माह मई के भीतर ही पूर्ण कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।**

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

11/8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।
(1)	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से प्राप्त आवेदन के क्रम में सम्बद्धता की प्रक्रियान्तर्गत सम्बन्धी संस्थाओं को कन्सेट ऑफ एफिलिऐशन एवं सम्बद्धता आदेश देने से पूर्व शासन की सहमति के संशोधन के सम्बन्ध में।
	मा0 सामान्य परिषद् को संज्ञानित कराया गया है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा–3 विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के उपधारा--(2) के अधीन विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय है तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–05 में विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य की उप धारा–(2) *''राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना, जो ज्ञान की नैत्यिक शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् के मानकों के अनुसार विशेष शिक्षा देते हैं जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, परीक्षाएं लेते हैं और उपाधियाँ प्रदान करते हैं और ऐसी शर्तों पर, जिन्हे विश्वविद्यालय अवधारित करें, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करते हैं। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर सम्बद्धता वापस ली जा सकती है''* की वर्णित व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि सम्बद्धता सम्बन्धी समस्त शक्तियां एवं अधिकार विश्वविद्यालय में ही निहित है। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि विश्वविद्यालय की सम्बद्धता सम्बन्धी कार्यों की गतिशीलता एवं सुगमता के लिए यह आवश्यक है कि शासन से विश्वविद्यालय द्वारा नवीन संस्थाओं/महाविद्यालयों को अनापत्ति (कन्सेंट ऑफ एफिलिऐशन) दिये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग से सहमति प्राप्त की जाये, तदोपरान्त विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता सम्बन्धी अनापत्ति (कन्सेंट ऑफ एफिलिऐशन) आदि सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जाये। अतः दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–11/2016/डी0एस0–49/65–3–2016–04(वि0वि0)/2016, दिनांक 06.05.2016 तद्नुसार आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार किया जाना है। **निर्णयः** मा0 सामान्य परिषद् द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय प्रदान किया गया कि प्रकरण पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–11/2016/डी0एस0–49/65–3–2016–04(वि0वि0)/2016, दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत अनापत्ति एवं सम्बद्धता देने से पूर्व शासन से सहमति की अनिवार्यता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी कार्यो में गतिशीलता एवं सुगमता के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं/महाविद्यालयों को मात्र कन्सेट ऑफ एफिलिऐशन (अनापत्ति) निर्गत किये जाने से पूर्व, उ0 प्र0 शासन स्तर से मात्र एकबार सहमति के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन को संशोधित शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया जाए तथा इसके उपरान्त सम्बद्धता सम्बन्धी अनापत्ति (कन्सेंट ऑफ एफिलिऐशन) एवं सम्बद्धता निर्गत करने सम्बन्धी समस्त अग्रेत्तर कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से सम्पादित की जाए।
अन्य किसी बिन्दु के अभाव में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित सहित बैठक समाप्त की गयी।	

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ